

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

ज्ञापांक:—6/एन0—08—85/2018—..... दिनांक— / /2025

नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स 1997 के नियम-1 के उपनियम (8) एवं (10) तथा नियम-4 के उपनियम (II) एवं (III) में निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों की अनुमति एवं मान्यता की शक्ति राज्य सरकार में निहित की गई है।

2—उपर्युक्त नियम/उपनियम में सावधिक मान्यता का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त नियमावली के नियम-4 (III) (छ) के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों का सावधिक निरीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर या उसके पूर्व सरकार जब भी आवश्यक समझे, निरीक्षण कराया जाना है तथा निरीक्षणोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुरूप संस्थान की मान्यता जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

3—उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-499(6), दिनांक-05.04.2019 के कंडिका-2 एवं 3 में अंकित प्रावधान, जिसके अनुसार सभी तरह के नर्सिंग संस्थानों का मान्यता का अवधि विस्तार प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के अनुमोदनोपरान्त सरकार स्तर के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने का आदेश संसूचित है, में संशोधन की आवश्यकता है।

4—अतः सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :—

(i) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स 1997 सावधिक मान्यता का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सभी प्रदत्त मान्यता प्राप्त संस्थानों की मान्यता को स्थायी मानते हुए उक्त नियमावली के नियम-4(III) में निहित प्रावधान के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर अथवा उसके पूर्व सरकार जैसा आवश्यक समझे, निरीक्षण कराई जायेगी तथा निरीक्षणोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर संबंधित संस्थान के आगे की मान्यता जारी रखने के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

(ii) जिन संस्थानों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा उन संस्थानों के आगे की मान्यता के बिन्दु पर दो माह के अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा।

(iii) जिन संस्थानों का निरीक्षण प्रतिवेदन मानक के अनुरूप पाया जायेगा उन संस्थानों की आगे की मान्यता जारी रहेगी।

(iv) निरीक्षण हेतु नया सत्र प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित संस्थान को विभाग में आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

(v) निरीक्षण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन उक्त नियमावली के नियम-4(iii) के अनुसार की जायेगी।

5—मान्यता एवं अवधि विस्तार संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

6—प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापंक :-6/एन-08-85/2018- 293(6)

पटना, दिनांक:- 12/03/2025

- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक/सचिव/प्राचार्य, सभी निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

